<u>न्यायालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत।</u>

<u>आदेश</u>

<u>दिनांक-17.11.2025</u>

आज दिनांक 17.11.2025 को माननीय जनपद न्यायाधीश, बागपत द्वारा मेरे द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 14.11.2025 जो न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत में लंबित अंतिम आख्या/एफ०आर० से संबंधित पत्रावलियों के भौतिक सत्यापन के उपरांत उत्पन्न हुई विसंगति के संबंध में था, पर मुझे विधि अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

चूंकि कार्यालय लिपिकगण द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांकित 14.11.2025 के साथ संलग्न सूची सं०-02 व 03 में दर्शित पत्रावलियां वे पत्रावलियां है, जो निस्तारित हो चुकी है, परन्तु सी०आई०एस० पोर्टल पर निस्तारित न होने के कारण दर्शित हो रही है तथा शेष वे पत्रावलियां है, जो न तो भौतिक रूप से कार्यालय में पायी गयी है और न ही उनका कोई रिकार्ड उपलब्ध है, किन्तु सी०आई०एस० पोर्टल पर दर्शित हो रही है, जिन्हे सी०आई०एस० पोर्टल से हटाया जाना यथोचित प्रतीत होता है।

अतः कार्यालय लिपिकगण को आदेशित किया जाता है कि सूची सं० -02 व 03 में दर्शित पत्रावलियों को नियमानुसार सी०आई०एस० पोर्टल से हटाकर आदेश भी अपलोड किया जाना सुनिश्चित करे। उक्त कार्य अन्दर सप्ताह करने के उपरांत दिनांक 29.11.2025 को मेरे समक्ष अपनी आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।

(रत्नम् श्रीवास्तव)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
बागपत।